लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः—79/2019 प्रार्थना पत्र
शंकरलाल पिता नारायण खटीक, उम्र बालिग निवासी गुरला हाल लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा
ल व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----प्रार्थी

बनाम

राधेश्याम पिता प्यारा खटीक, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
भंवरलाल पिता मांगीलाल खटीक, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
लादूलाल पिता मांगू दरोगा, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—6.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुरंला पटवार गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1164 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 5 ी, 1166/1 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वांशी भूमि प्राथी के नाम दर्ज है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात ा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण पने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते : प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही ाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा नी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त ाजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय बत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में हने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के ोकार किया जाकर ग्राम गुरंला पटवार हल्का गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नम्बर 1164 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 5 बिस्वांसी, 1166/1 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 2 बीघा 5 बिस्वांशी भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुरंला को 450/–रूपये (चार सौ पचास
कम्श्निर फीस पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता हैं। कम्श्निर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें।
र फीस ज़मा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये
के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner